

1 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उपवन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट आवेदित वन भूमि के व्यपवर्तन पर संभावित लाभों के प्रतिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत स्पष्ट अभिमत दिया जावे, यदि किन्ही विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का ब्यौरा दिया जावे।	पुनासा परिक्षेत्र के ग्राम पुनासा खसरा क्रमांक 183 रकबा 5.67 हेक्टेयर मे से 0.35 हेक्टेयर में जिला रजिस्ट्रार एवं जिला सत्र न्यायाधीश खण्डवा को न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास गृह के निर्माण हेतु ग्राम पुनासा स्थित शासकीय राजस्व वनभूमि रकबा 0.35 हेक्टेयर मे प्रस्तावित है। अतः न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास गृह के निर्माण हेतु ग्राम पुनासा रकबा 0.35 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि को आवेदक संस्था को उपयोग पर प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।
---	---


 (एम.आर.बघेल)
 वनमण्डलाधिकारी
 सामान्य वनमण्डल खण्डवा